भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

NOTARY
Satya Prakash Srivastava
Adv. & Notary
Lko. (U.P.) INDIA
Regd. 31/48/2000
GOVT. OF U.P. INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

GZ 947031

आपसी सहमति पत्र (एम0ओ0यू0)

रेनू कोरी पुत्री मोती लाल कोरी, निवासिनी–गांधी नगर, तेलीबाग, लखनऊ।

........प्रथम पक्ष

एवं

जावेद इकबाल पुत्र मोईनुद्दीन निवासी–70, सेनानी विहार, रायबरेली रोड, लखनऊ पार्टनर मेगा कोलानाईजर्स एण्ड लैण्ड डेवलपर्स।

......द्वितीय पक्ष

Signature/RTI.LTI Attested
Satya Prakash Srivastava
Advocate & Notary
Lucknow U.P. India

रेनू

क्रमशः..........2

जो कि प्रथम पक्ष भूमि खसरा संख्या–769, 784, 794च स्थित ग्राम–कनकहा, परगना–निगोहाँ, तहसील–मोहनलालगंज, जिला–लखनऊ की मालिक, कामिज व काबिज है।

यह कि प्रथम पक्ष उक्त भूमि को डेवलप कर बेच पाने में असमर्थ है इसलिये प्रथम पक्ष ने द्वितीय पक्ष से उक्त भूमि को डेवलप कर बेचने की बात की तो द्वितीय पक्ष तैयार हो गया।

यह कि उपरोक्त वर्णित खसरा संख्या की भूमि का द्वितीय पक्ष अपने हिसाब से विकसित करेगा। विकसित करने, मार्केटिंग करने का खर्च द्वितीय पक्ष द्वारा वहन किया जायेगा।

यह कि द्वितीय पक्ष उक्त खसरा नम्बरान से सम्बन्धित भूमि का सक्षम अधिकारी द्वारा नक्शा पास कराना व विद्युत कनेक्शन व अन्य जो डेवलप करने में जो खर्च आयेगा, वह द्वितीयपक्ष द्वारा वहन किया जायेगा।

यह कि द्वितीय पक्ष विकसित क्षेत्र से विक्रय से प्राप्त प्रतिफल में 60 प्रतिशत प्रथम पक्ष व 40 प्रतिशत द्वितीय पक्ष का रहेगा।

Signature/RTI.LTI Attested

यह कि विकसित क्षेत्र का बयनामा प्रथम पक्ष द्वारा द्वितीय पक्ष के कहने पर किया जायेगा।

Satya Prakash ... Advocate & Notary Lucknow U.P. India

क्रमशः.........3

रेनू

लिहाजा हम उभयपक्षों ने खूब सोच–समझकर प्रसन्न–चित्त मन से बिना किसी जोर दबाव नाजायज के समक्ष गवाहान अपने–अपने हस्ताक्षर बनाकर यह आपसी सहमति पत्र (एम0ओ0यू0) निष्पादित किया ताकि सनद रहे और समय पर काम आवे।

लखनऊ

दिनांक: 04.04.2016

ह0 प्रथम पक्ष

रेनू

गवाहानः

1. नाम–

पता–

ह0 द्वितीय पक्ष

2. नाम–

पता–

I identify the deponent/Executant who has/have Signed/Put T.I.before me